राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6435/2022

धनेश प्रसाद खटीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त (आबकारी), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, आबकारी भवन–2, गुमानियावाला, पंचवटी उदयपुर–313001
3. जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ, रेल्वे स्टेशन रोड, चित्तौडगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2022
आदेश की दिनांक : 23.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यव्यवस्थार्थ हेतु रिक्त पद पर जिला आबकारी कार्यालय, धौलपुर के लिए अग्रिम आदेश तक पदस्थापित किया गया है और आदेश दिनांक 17.12.2022 के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को असक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण किया गया है और उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से 515 कि.मी. दूर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी एस.सी. वर्ग से है और इस प्रकार उसका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी की पत्नी भी अध्यापक के पद पर चित्तौडगढ़ में ही कार्यरत है और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान पर अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त नीति के

विरूद्ध आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी उच्च रक्तचाप से पीडित है और उसकी पत्नी भी माइग्रेन की बीमारी से पीडित है। उसके परिवार में उसकी देखभाल के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्ष 2017 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप

नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 515 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य